न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प इंदौर

R 733-PBR/17

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक
श्रवण दिनांक

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ...[illegible]...
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13-02-2017
को प्रस्तुत।

78
13-02-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. अ. अजीज पिता अ. रशीद
2. अ. खालिक पिता अ. रसीद
दोनों निवासी खानका वार्ड, बुरहानपुर म.प्र.

– पुर्ननिरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
बुरहानपुर म.प्र.

– उत्तरदाता

पुनरीक्षण मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है :–

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय बुरहानपुर, के राजस्व प्रकरण क्रमांक 20/2016–17 में पक्षकार " अ. **अजीज वगैरा विरूद्ध शासन** " में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.11.2016 से पीड़ित एवं व्यथीत होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

...रण कमांक निगरानी 733—पीबीआर/17 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1—5—2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के आदेश दिनांक 5—11—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त आदेशिका से उपपंजीयक से यह जानकारी मंगाई गई है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से भूखण्डों का विकय किया गया है अथवा नहीं एवं आवेदकगण को निर्देश दिये गये है कि उसके द्वारा कालोनी बनाने के उद्देश्य से भूखण्डों का विकय नहीं किया गया है इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करें। कलेक्टर की उपरोक्त कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	